

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक /टी-4/GEF-7 FOLUR/2026-27/2157

जशपुर, दिनांक : 15/01/26

सूचना

विषय:- GEF-7 FOLUR परियोजना अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मूल्यांकन संबंधी चयन समिति के निर्णय के संबंध में।

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-जशपुर द्वारा विज्ञापन क्रमांक T-4/GEF 7 FOLUR/Recruitment/5192, दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से Food System & INRM Expert (District Coordinator), District Institutions Expert, District Agronomy Expert, Block Coordinator एवं Block Facilitators के संविदा पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27.01.2026 निर्धारित की गई थी। दिनांक 03.02.2026 को कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-जशपुर में GEF-7 FOLUR परियोजना अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों की भर्ती के संबंध में गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

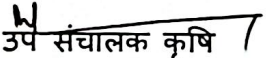
उक्त भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण, पात्रता निर्धारण एवं अंतिम मेरिट सूची तैयार किए जाने के संबंध में भर्ती विज्ञापन, Terms of Reference (ToR), Evaluation Criteria तथा प्रत्येक पद के कार्य दायित्वों का विस्तृत परीक्षण एवं विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

समिति के निर्णय

1. प्रत्येक अभ्यर्थी का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता हेतु 80 अंक तथा मान्य कार्यानुभव हेतु 20 अंक निर्धारित किए जाते हैं।
2. अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे।
3. केवल वही कार्यानुभव मान्य होगा जो संबंधित पद हेतु विज्ञापन, Terms of Reference (ToR) एवं Evaluation Criteria में वर्णित कार्यक्षेत्रों से संबंधित हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अनुभव प्रमाण-पत्र से प्रमाणित हो।
4. समिति द्वारा यह विचार किया गया कि GEF-7 FOLUR परियोजना अंतर्गत विज्ञापित सभी पद पूर्णतः फील्ड आधारित (Field Oriented) एवं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित भ्रमण, समुदाय के साथ समन्वय, परियोजना का क्रियान्वयन, तकनीकी मार्गदर्शन, मॉनिटरिंग, प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना तथा शासन एवं FAO के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना होगा। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुभव वाले

अभ्यर्थी परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अंतिम मेरिट सूची में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके पास संबंधित पद हेतु विज्ञापन एवं Terms of Reference में वर्णित मान्य एवं प्रासंगिक कार्यानुभव उपलब्ध हो। जिन अभ्यर्थियों के पास संबंधित पद के अनुरूप कोई भी मान्य कार्यानुभव उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें अंतिम मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

5. अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता एवं मान्य कार्यानुभव के आधार पर प्राप्त कुल अंकों के अनुसार तैयार की जाएगी।


उप संचालक कृषि /
जिला जशपुर